

राजस्थान-सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/2017


जयपुर, दिनांक 15.01.2018

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर निम्नानुसार एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-


क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	बरकत उल्लाह सुल्तानी कनिष्ठ विधि अधिकारी	कनिष्ठ विधि अधिकारी आदेशों की प्रतीक्षा में	कनिष्ठ विधि अधिकारी महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर	श्रीमती सरोज मीणा के स्थान पर
2.	सरोज मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	कनिष्ठ विधि अधिकारी महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध

आज्ञा से


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव